अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, सदर चाईबासा।

मिस वाद सं0 – 35/2021

(धारा 107 द0प्र0स0)

डोबरो देवगम एवं अन्य 04 बनाम नारायण देवगम एवं अन्य 05

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई बाद में टिप्पणी सहित
	उक्त वाद की कार्रवाई मुपफसिल थाना चाईबासा के अप्राथमिकी सं0 – 08/2021 के आलोक में प्रथम पक्ष के सदस्य 1. डोबरो देवगम, पे0 – स्व0 पातोर देवगम, 2. मधुसूदन देवगम, पे0 – छोटा रांगिया देवगम, 3. सनातन देवगम, पे0 – स्व0 डोबरो देवगम, 4. रामसिंह देवगम, पे0 – स्व0 तुराम देवगम, 5. लखिन्द्र देवगम, पे0 – स्व0 डोबरो देवगम, सभी सा0 – कमरहातु, थाना – मुपफसिल, जिला – प0सिंहभूम चाईबासा एवं द्वितीय पक्ष के सदस्य 1. नारायण देवगम, पे0 – स्व0 सिताराम देवगम, 2. रमेश देवगम, 3. लादुरा देवगम, 4. दिलीप कुमार देवगम, 5 हरिश देवगम, चारों के पे0 – स्व0 साहू देवगम, 6. छोटा साहू देवगम, पे0 – स्व0 लक्ष्मण देवगम, सभी सा0 – कमरहातु, थाना – मुपफसिल, जिला – प0सिंहभूम चाईबासा के बीच भूमि विवाद को लेकर द0प्र0स0 की धारा 107 के अन्तर्गत प्रारंभ किया गया। उभय पक्ष को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमि मौजा कमरहातू थाना न0 640 खाता न0 127 प्लॉट न0– 987, रकवा– 0.06 डी0 हाल सर्वे खतियान में जाम्बी कुई पति – शुलूभ हो के नाम पर दर्ज है शुलूभ हो की निवंशी मृत्यू हो गयी एवं प्रथम पक्ष जाम्बी हो, पति – शुलूभ हो कि नजदीकी वंशज है। हो रिवाज के अनुसार निवंशी जमीन नजदीकी वंशज को जाता है एवं प्रथम पक्ष जाम्बी कुई, के मृत्यू के पश्चात कई वर्षों से उक्त भूमि पर दखल करने आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा जाम्बी कुई, के नजदीकी वंशज होने का दावा करते हुए उपरोक्त भूमि पर अपना अधिकार हेतू आयुक्त सिंहभूम कोल्हान प्रमण्डल के न्यायालय में	

कोल्हान टाईटल अपील सं0 –231/1996 दायर किया गया जिसे आयुक्त महोदय के द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय पक्ष के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में W.P.C.NO- 7009/2006 दायर किया गया जो माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। पुनः द्वितीय पक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में restoration हेतू C.M.P.NO-188/2018 दायर किया गया उसे भी माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। वर्तमान विवादित भूमि को लेकर उपर उपायुक्त प0 सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय में K.T.S NO – 03/1996 लंबित है जो गवाही पर है। उक्त वाद के लम्बित रहने के दौरान द्वितीय पक्ष के द्वारा विवादित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया एवं मना करने पर द्वितीय पक्ष के द्वारा गाली गलौज दिया गया एवं अवैध निर्माण का प्रयास किया गया उक्त भूमि विवाद को लेकर इसी न्यायालय में धारा 144 द0प्र0स0 मिस वाद सं0 – 36/2021 चला जिसकी कार्रवाई कोविड –19 लॉकडाउन में समयावधि समाप्त होने कारण समाप्त की गयी।

द्वितीय पक्ष का कथन है कि प्रथम पक्ष के सदस्य छोटा डोबरो देवगम हो, तुराम हो, बागुन हो, के विरूद्ध वर्ष 1933–34 में कोल्हान अधीक्षक चाईबासा के कोल्हाल मिस केस न0 – B 343/1933-34 हार गये थे। इस वाद का विवादित प्लॉट न0 – 987 जाम्बी कुई के नाम पर दर्ज है। विवादित प्लॉट को लेकर कई वाद दर्ज हुये, उनमें से एक वाद LPA No. 343/2019 माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है। यह द्वितीय पक्ष के सदस्यों के द्वारा दायर किया गया है। द्वितीय पक्ष के सदस्य विवादित भूमि के निःसंदेह वैध वारिस एवं वास्तविक उत्तराधिकारी हैं एवं खतियानी रैयत की मृत्यु के पश्चात यह भूमि उनके दखल में है। द्वितीय पक्ष के सदस्य शांतिप्रिय हैं। इस वाद की पुष्टि ग्रामीण मुण्डा से की जा सकती है। यह पूरा विवाद वंशावली का है। दोनों पक्ष को वंशावली प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाय, जिससे वास्तविक उत्तराधिकारी की पहचान हो एवं गलत पक्ष को द0प्र0स0 की धारा 107 के अन्तर्गत Bond किया जाय।

उभय पक्ष के कारण पृच्छा के बाद वाद को गवाही हेतु रखा गया। प्रथम पक्ष की ओर से दो गवाह 1. डोबरो देवगम, पिता – पातर देवगम, ग्राम – कमारहातु, 2. बलदेव देवगम, पिता – लोपो हो उर्फ बोरता देवगम,

ग्राम – कमारहातु को गवाही हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रथम पक्ष के गवाह सं0 1. डोबरो देवगम के द्वारा मुख्य परीक्षण में कहा गया कि विवादित भूमि जाम्बी कुई के नाम पर दर्ज है जो मेरे वंशज है। उस जमीन पर पूर्वज लोग मृत्यू होने के पश्चात मुर्दा गाड़ देते थे। मेरे परिवार के बहुत सारे मुर्दा गाड़े गए है। जाम्बी कुई परदादी लगते है तथा हमलोग इसके निकटतम उत्तराधिकारी हैं। द्वितीय पक्ष के लोग दिनांक 24.05.2021 को उक्त भूमि में पिलर गाड़ रहे थे तो मना करने पर द्वितीय पक्ष द्वारा धमकी एवं मारपीट पर उतारू हो गए। वाद शुरू होने के बाद द्वितीय पक्ष से मारपीट एवं विवाद नही हो रहा है प्रतिपरीक्षण में गवाह सं0 1 के द्वारा भूमि संबंधी कई प्रश्नो का जबाव दिया गया एवं कहा गया कि द्वितीय पक्ष के द्वारा हाथापाई नहीं हुआ था, मगर वे लड़ाई करने के लिए उतारू थे। प्रथम पक्ष के गवाह सं – 02 बलदेव देवगम के द्वारा मुख्य परीक्षण में कहा गया कि दिनांक 24.05.2021 को 10–11 बजे के बीच दिन में द्वितीय पक्ष के लोग घर बनाना शुरू किया एवं विवादित भूमि पर पिलर खड़ा किया प्रथम पक्ष के लोग मना करने गए तो द्वितीय पक्ष के लोग गाली–गालौज किया एवं मारने पीटने की धमकी दी। प्रथम पक्ष के लोग थाना को सूचित किए तो थाना पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस बल के सामने भी द्वितीय पक्ष के लोग गाली–गलौज करने लगे। प्रथम पक्ष के लोग किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नही किए।प्लॉट संख्या–987 जाम्बी कुई के नाम से है तथा इस पर प्रथम पक्ष के पूर्वजों को दफनाया गया है। जाम्बी कुई निवंशी मर गई जिससे सबसे नजदीकी संबंधी में प्रथम पक्ष के लोग डोबरो देवगम वगैरह है। प्रतिपरीक्षण में भी गवाह सं0 – 02 के द्वारा कहा गया कि प्रथम पक्ष के साथ गाली–गलौज हुआ। हमलोग नही मानेंगे आदि बात हुई। इस भूमि पर प्रथम पक्ष के पूर्वजों को दफनाने की बात 70–80 वर्ष पूराना है मेरे जीवित रहते शुलूभ हो (जाम्बी कुई के पति) को दफनाया गया है। इससे पूर्व भी दोनो पक्ष में विवाद था जिसका केस कोर्ट मे चल रह है। (सिर्फ जमीन संबंधी विवाद है) जमीन को लेकर मेरे जानकारी में कोई बैठक नही हुई हैं।

द्वितीय पक्ष की ओर से दो गवाह 1. जुलासिंह हेम्ब्रम, पिता–विक्रम हेम्ब्रम, सा0– कमारहातू, 2. दिलीप कुमार देवगम, पिता– स्व0 साव देवगम,

सा0– कमारहातू, को गवाही हेतू प्रस्तूत किया गया। द्वितीय पक्ष के गवाह सं0 1. जुलासिंह हेम्ब्रम के द्वारा मुख्य परीक्षण में कहा गया कि मैं दोनों पक्ष को जानता हूँ। दोनों पक्ष के बीच जमीन को लेकर लड़ाई हुई। उस दिन कोई लड़ाई–झगड़ा नही हुआ था। विवादित भूमि जाम्बी कुई के मरने के बाद मानकी हो व उसके वंशज के दखल में है। जाम्बी कुई के मृत्यू के समय मैं छोटा था। विवादित भूमि को लेकर गॉव में बैठक हुई परन्तु प्रथम पक्ष के लोग नहीं आए थे। विवादित भूमि पर प्रथम पक्ष Dealer (राशन दूकान) घर के सामने घर बनाया हैं। प्रथम पक्ष के पास कोई दस्तावेज नहीं है। द्वितीय पक्ष को तंग करने के लिए केस किया है। प्रतिपरीक्षण में गवाह सं0–1. द्वारा माना गया कि जाम्बी कुई के जमीन पर प्रथम पक्ष घर बनाया है। द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को जाम्बी कुई के जमीन से हटाना चाहते है। जमीन का दस्तावेज नही है तो हटाएंगे ही। गवाह सं0–1. द्वारा बताया गया कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को हटाना चाहता है क्योंकि उसके पास कोई कागजात नहीं है। द्वितीय पक्ष जोर जबरदस्ती करता है तो विवाद होता है। ऐसी बात नही है कि द्वितीय पक्ष विवादित जमीन पर जाकर हल्ला, हंगामा करता है।

द्वितीय पक्ष के गवाह सं0–2. दिलीप कुमार देवगम के द्वारा मुख्य परीक्षण में कहा गया कि मैं इस वाद में द्वितीय पक्ष हूँ। विवादित भूमि को लेकर मेरे द्वारा कोई केस नही किया गया है परन्तू प्रथम पक्ष के द्वारा किया गया है। विवादित भूमि को लेकर 1933–34 में पंचायती हुआ था और पुलिस केस 1961/1971 जो हमारे पक्ष में हुआ था। खाता पुस्तिका में अंचल कार्यालय में हमारे पक्ष में निर्णय आया। लगान रसीद 1967 से 1996 तक हमारे पक्ष में कटता है। विवादित भूमि जाम्बी कुई की मृत्यू के पश्चात हमारे दखल–कब्जा में है। इस केस में पंचायती ब्यौरा/144&145 वाद का दस्तावेज/संयुक्त खतियान/कुर्सीनामा जमा किया गया है। संयुक्त खतियान जाम्बी कुई पति– शुलूभ हो एक अंश साऊ हो पिता– ओटांग हो, एक अंश सिराम हो पिता– बामिया हो, से दर्ज हो कर है। प्रतिपरीक्षण में गवाह सं0–02 ने बताया गया कि वर्तमान विवाद खाता सं0– 127 के अन्तर्गत प्लॉट न0– 987 रकवा 0.06 डि0 को लेकर है। खाता सं0 127 जाम्बी कुई के अकेले के नाम में दर्ज है। उच्च न्यायालय में L.P.A No-

खतियान जाम्बी कुई पति– शुलूभ हो एक अंश साऊ हो पिता– ओटांग हो, एक अंश सिराम हो पिता– बामिया हो, से दर्ज हो कर है। प्रतिपरीक्षण में गवाह सं0–02 ने बताया गया कि वर्तमान विवाद खाता सं0– 127 के अन्तर्गत प्लॉट न0– 987 रकवा 0.06 डि0 को लेकर है। खाता सं0 127 जाम्बी कुई के अकेले के नाम में दर्ज है। उच्च न्यायालय में L.P.A No-343/2019 मैने दाखिल किया है लेकिन वह प्रथम पक्ष के खिलाफ नही है ब्लकि उपेन्द्र सुलंकी के खिलाफ है। यह L.P.A मैने W.P.C 7009/2006 अस्वीकृत होने के कारण दायर किया। मेरे परिवार द्वारा किये गए अपील के आयुक्त द्वारा इसलिए खारिज कर दी गई क्योंकि उन्होंने पाया कि जाम्बी कुई के पति के नजदीकी खुन के रिश्ते में हमलोग नहीं आते हैं तथा जाम्बी कुई के पति के खतियानी जमीन पर विपक्षी अर्थात प्रथम पक्ष का हक बनता है। प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल कुर्सीनामा में जाम्बी कुई को राउतू का लड़की बताया गया है जो गलत है प्लॉट सं0– 987 के संबंध में कोर्ट का डिक्री मेरे पास है। प्लॉट सं0–987 में चावल मिल चलाने के लिए मै पिलर का निर्माण कर रहा था। प्रथम पक्ष द्वारा इसी निर्माण पर आपत्ति की गई। मैं प्रथम पक्ष द्वारा मना करने पर आपत्ति के बाद निर्माण कर रहा था इसलिए Notice U/S 144 की कार्रवाई हुई। ऐसी बात नहीं है कि मै प्लॉट 987 में जबरदस्ती निर्माण करना चाहता हूँ इसलिए स्थल पर विवाद हो रहा है। ऐसी बात नही है कि मेरे कारण स्थल पर शांति भंग हो रही है।

उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तूत कागजात एवं गवाही को सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचता है कि उभय पक्ष के बीच भूमि को लेकर कई वाद दर्ज हुए एवं कुछ वाद उपरी न्यायालय में लंबित है। उपरोक्त न्यायालय में कोई निर्णय अथवा आदेश पारित नहीं होने तक उभय पक्ष को यथास्थिति बनाए रखेंगे। तथा किसी प्रकार का शांति भंग करने का प्रयास नहीं करेंगे। उभय पक्ष के द्वारा शांति भंग होने की सूचना प्राप्त होने पर उनको प्रतिबंधित करते हुए कड़ी कानूनी कारवाई की जाएगी।

Digitally signed by SHASHINDRA BARAIK
Date: 2023.01.20 14:35:35 +05:30
Location: 192.168.29.68

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
सदर चाईबासा।